पूर्व रेलवे

EASTERN RAILWAY

G.350/RA/PANEL/2023/LS
जी.350/आरए/पैनल/2023/एलएस

प्रधान कार्यालय/ HEAD QUARTER OFFICE,
महाप्रबंधक विधि/ GM'S LAW OFFICE
3, कोयलाघाट स्ट्रीट/ 3, KOILAGHAT STREET,
ग्राउन्ड फ्लोर/ GROUND FLOOR
कोलकाता/ KOLKATA - 700001

दिनांक/ Date: 04-01-2023.

पूर्व रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न न्यायाधिकरणों, न्यायालयों और अन्य सांविधिक निकायों में रेलवे अधिवक्ताओं की नियुक्ति ।

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 01/2023	**दिनांक:-04.01.-2023**
आवेदन की प्रारंभिक तिथि: **04-01-2023**	आवेदन की अंतिम तिथि: **31-01-2023**

1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं 2022/LC/14/1 दिनांक 22-02-2022 के आंशिक अधिक्रमण में रेल मंत्रालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, रेलवे दावा अधिकरण, जिला न्यायालयों, पूर्व रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालय और अन्य वैधानिक निकाय के समक्ष रेलवे प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से रेलवे अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया **रेलवे बोर्ड के पत्र सं 2022/LC/15/1 दिनांक 28-12-2022** के आधार पर जारी की है।

2. पूर्व रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, रेलवे दावा अधिकरण, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और अन्य वैधानिक निकायों के लिए रेलवे अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

3. संलग्नक-II में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं द्वारा संलग्नक-I के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं।

4. उक्त अनुलग्नकों में दी गई सूचनाओं की सत्यता के बारे में स्वतंत्र जांच के आधार पर आवेदनों की जांच कार्यालयों, पुस्तकालय तथा बैठक स्थल के भौतिक सत्यापन के माध्यम से की जाएगी।

5. साक्षात्कार हेतु अधिवक्ताओं केअनुशंसित नामों को पूर्व रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

6. पूर्व रेलवे पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनुशंसितअधिवक्ताओं का साक्षात्कार आयोजित करेगा।

7. <u>अवधि, समाप्ति, इस्तीफा और कार्यकाल की समाप्ति:</u>

क) अधिवक्ताओं को 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुशंसित और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के अधीन वार्षिक आधार पर 2 (दो) वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

ख)अधिवक्ता कोई भी कारण बताकर और 3 (तीन) महीने की न्यूनतम अवधि का नोटिस देकर इस्तीफा दे सकते हैं।

ग) प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर अधिवक्ता की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

8. पैनल अधिवक्ताओं की अंतिम सूची रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के अधीन है जिसे पूर्व रेलवे की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

9. किसी भी स्पष्टीकरण के संबंध में रेलवे बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

10. देय शुल्क, पत्र संख्या 2022/LC/15/1 दिनांक 28-12-2022 के अनुसारन्यायिक अनुभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार होगा।

11. निर्धारित प्रारूप (अनुबंध I) में आवेदन या तो ईमेल **erlegalcell@gmail.com**या पंजीकृत डाक द्वारा **"वरिष्ठ विधि अधिकारी / मुख्यालय, पूर्व रेलवे, 3 कोइलाघाट स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, (जीपीओ/कोलकाता के निकट)कोलकाता - 700 001"** को भेजे जा सकते हैं।

12. एक अधिवक्ता केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/रेलवे दावा अधिकरण/जिला न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों/सांविधिक निकायों के लिए अपनी पसंद का संकेत देते हुए केवल एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, पैनल/ न्यायालय के चयन से संबंधित अंतिम निर्णयचयन प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।

13. कृपया यह ध्यान दें कि अपूर्ण आवेदन, किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किए गए आवेदन और जो अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

14. आवेदन 31-01-2023 को या उससे पहले इस कार्यालय में पहुंच जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

एस गंगोपाध्याय
04/01/23
(एस. गंगोपाध्याय)

वरिष्ठ विधि अधिकारी / मुख्यालय

04/01/23
वरिष्ठ विधि अधिकारी / प्र. का.
Senior Law Officer / HQ.
पूर्व रेलवे / Eastern Rly.
कोलकाता / Kolkata

अनुलग्नक—I

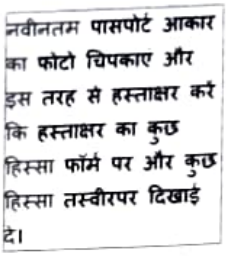
नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाए और इस तरह से हस्ताक्षर करें कि हस्ताक्षर का कुछ हिस्सा फॉर्म पर और कुछ हिस्सा तस्वीरपर दिखाई दे।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/रेलवे दावा अधिकरण/जिला न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं) में रेलवे अधिवक्ता के पैनल के लिए प्रोफार्मा

1. आवेदक का नाम:
2. पिता का नाम/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :

   (दिन/माह/वर्ष)
4. आयु (01.01.2023 को) :
5. लिंग :

   (पुरुष/महिला)
6. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित पता:

   लैंडलाइन नंबर(एसटीडी कोड आदि सहित), निवास

   कार्यालय

   चेम्बर

7. उस न्यायालय का उल्लेख करें जहाँ आवेदक
मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए इच्छुक है:

8. शैक्षिक योग्यता:

पाठ्यक्रम का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष
एलएलबी		
एलएलएम		
अन्य		

9. अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि :

10. नामांकन संख्या (बार काउंसिल/ बार एसोसिएशन) :

11. अभ्यास अनुभव/ रेलवे मामलों का अनुभव (वर्षों में) :

12. अनुभव का विवरण

न्यायालय	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या	जीते गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की प्रकृति(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ट संलग्न करें)
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण			
रेलवे दावा अधिकरण			
जिला अदालत			
अधीनस्थ न्यायालय			

13. आवेदक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया
पीएसयू/सरकारीविभाग के नाम (यदि कोई हो)
निर्दिष्ट करें।

14. जिस क्षेत्र में उम्मीदवार नेमामलों का
संचालन किया विशेष रूप से सिविल, आपराधिक,
रेलवे भूमि और अन्य दावा विवाद. श्रम कानूनों
और रिट अधिकार क्षेत्र में

15. पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतियां

16. आवेदन किए गए संबंधित न्यायालय के समक्ष
एक वर्ष में किए गए मामलों की संख्या

17. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i.कानून की डिग्री की प्रति

ii.बार काउंसिल द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र की प्रति

iii. व्यक्तिगत क्षमतामें संभाले गए मामलों में न्यायालय के रिपोर्ट किए गए निर्णय

iv.पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न

v. अनुभव प्रमाण पत्र

तिथि: (हस्ताक्षर)

स्थान:

(नाम)

अनुलग्नक—II

1.**योग्यता**: i)न्यूनतम योग्यता- एलएलबी

ii)बार काउंसिल द्वारा जारी बार में अभ्यास का नामांकन प्रमाणपत्र।

iii)वांछनीय योग्यता- एलएलएम

2.**अनुभव**:

कोर्ट	अनुभव
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या अन्य समकक्ष न्यायिक मंच में न्यूनतम **सात** वर्ष का अनुभव। जिसमें से रेलवे मामलों को संभालने का **दो** वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
रेलवे दावा अधिकरण	रेलवे दावा अधिकरण या अन्य समकक्ष न्यायिक मंच में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव। जिसमें से रेलवे दावा अधिकरण मामलों को संभालने का **दो** साल का अनुभव अनिवार्य है।
जिला न्यायालय	जिला न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के समकक्ष या उपभोक्ता फोरम सहित अन्य समकक्ष न्यायिक फोरम में न्यूनतम **पांच** वर्ष का अनुभव। जिसमें से जिला न्यायालय में रेलवे के दावों के मामलों को संभालने का **एक** वर्ष का अनुभव अनिवार्य है
अधीनस्थ न्यायालय	अधीनस्थ न्यायालय या उपभोक्ता मंच सहित अन्य समकक्ष न्यायिक मंच **में** न्यूनतम **तीन** वर्ष का अनुभव जिसमें से अधीनस्थ न्यायालय में **छह माह** रेलवे मामलों को संभालने का अनुभव अनिवार्य है

- अधिवक्ता के अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित बार काउंसिल के अध्यक्ष या उनके नामित व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा।
- पात्र अपना आवेदन संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को भेजेगा।